



Neutral Citation No.- 2026:AHC:11923

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-19328 वर्ष 2024

अमित

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आशीष श्रीवास्तव, प्रवेश कुमार, रमेश चंद्र यादव, सुनील कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र यादव और श्री सुनील कुमार, राज्य के अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री सुनील कुमार की सहायता से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संजीव सिंह को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-702 वर्ष 2023 में धारा 364, 302, 201, 120-बी, 34, 404 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली देहात, ज़िला: बुलंदशहर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी जांच रिपोर्ट के बाद शुरू की गई थी, जिसके तहत जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत मामले के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के अपराध संख्या-का उल्लेख किया गया है, इस तरह, यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है। प्राथमिकी समय विरोधी लगती है।

5. आवेदक का नाम प्राथमिकी में है लेकिन चश्मदीद गवाह अंसां-1 और अंसां-2 असली गवाह नहीं हैं। बल्कि, उन्होंने सुनी-सुनाई बातों के सबूत दिए हैं। यहां तक कि अंसां-3 भी चश्मदीद गवाह नहीं है। बताया जाता है कि उसने ओयो होटल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में आवेदक और अन्य सह-आरोपियों की पहचान की है। विवेचनाधिकारी ने होटल के मालिक रोहित और उसके कर्मचारी अमन जादौन से पूछताछ की है और उन्होंने आवेदक को नामित नहीं किया है। इसके बजाय उन्होंने अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् अर्जुन, वीरपाल और नीरज @ भीम को नामित किया है, इस प्रकार, आवेदक ज़मानत का हकदार है।

6. आवेदक 19.12.2023 से जेल में है और उसे कैद हुए दो साल और एक महीना बीत चुका है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक उक्त अपराध करने वाले सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था, इस तरह, उसकी मिलीभगत स्थापित हो गई है।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, मुझे आवेदक को ज़मानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 19, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.